

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ.1451 सीसी/स्वाकापु/2018//36

दिनांक : 4/5/18

आदेश

एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 23642/2017 श्री मुरारी लाल व अन्य 10 स्वास्थ्य कार्यकर्ता पुरुष बनाम राज्य सरकार व अन्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर ने आदेश दिनांक 21.12.2017 निम्नानुसार पारित किया :-

In case, a representation is so addressed within the aforesaid period, the State respondents are directed to consider and decide the same by a reasoned and speaking order in the backdrop of the order passed in the case of Govind Dan Charan (Supra), as expeditiously as possible. However, in no case later than three months from the date of receipt of the representation along with a certified copy of this order.

With the observations and directions, as indicated above, the writ application stands disposed off.

प्रकरण में डी.बी.सिविल स्पेशल अपील रिट नं. 1068/2014 गोविन्ददान चारण बनाम राज्य सरकार व अन्य 6 डी.बी. अपीलों में दिनांक 17.12.2015 के आधार पर निर्णित किया गया है जो निम्नानुसार है :-

In view of the above discussion, the appeals filed by the appellants are allowed. The order dated 15-4-2014 passed by the learned single judge in all the writ petitions is set aside, the writ petitions filed by the petitioners-appellants are allowed to the extent that the appellants would be entitled to selection grade and get fixation in the pay scale of Rs 975-1720, 1200-2050 and 1640-2900 (5500-9000) on completion of 9] 18 and 27 years of service respectively in terms of judgment in the case of jagdish Narain Chaturvedi (supra) i.e. from the date of regular appointment.

गोविन्ददान चारण के प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 17.12.2015 के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में एसएलपी दायर किये जाने का स्थायी समिति द्वारा निर्णय लिया गया एवं 15809-15815/2016 दायर की गई, जो दिनांक 12.7.2016 को खारिज हो गई एवं दायर रिव्यू याचिका भी दिनांक 17.1.2017 को निस्तारित हो गई।

इस प्रकरण में निहित विषयबिन्दु के संबंध में अंतिम निस्तारण गोविन्ददान चारण के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जा चुका है एवं स्थायी समिति द्वारा इस तरह के प्रकरणों में आगे अपील दायर नही करने का निर्णय लिया गया है।

PTO

अतः एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 23642/2017 श्री मुरारी लाल व अन्य 10 स्वास्थ्य कार्यकर्ता पुरुष बनाम राज्य सरकार व अन्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर के आदेश दिनांक 21.12.2017 की पालना में याचिकाकर्ता श्री मुरारी लाल व अन्य 10 जिनकी प्रथम नियुक्ति एमएसडब्ल्यू/वैक्सीनेटर के पद पर हुई थी तथा जो उक्त निर्णयों से कवर्ड होने के कारण याचिकाकर्ताओं का अभ्यावेदन स्वीकार किया जाकर विभिन्न आदेशों के द्वारा पूर्व में स्वीकृत चयनित वेतन श्रृंखलाओं को एतद् द्वारा अतिक्रमित करते हुए नियमित नियुक्ति तिथि से सेवा की गणना करते हुए 18 एवं 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर क्रमशः 1200-2050 एवं 1640-2900 चयनित वेतन श्रृंखला स्वीकृत की जाती है। याचिकाकर्ता को दिनांक 01.01.2006 से नियमानुसार देय एसीपी एतद् द्वारा स्वीकृत की जाती है।

याचिकाकर्ता को चयनित वेतनमान की स्वीकृति में जोन/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में पदस्थापित राजस्थान अधिनस्थ लेखा सेवा के वरिष्ठतम अधिकारी यह सुनिश्चित करे कि याचिकाकर्ता को चयनित वेतनमान स्वीकृति में यदि कार्मिक को उच्च वेतनमान में समायोजित किया गया है तो अवधि की गणना कार्मिक के समायोजित होने की दिनांक से चयनित वेतनमान नियमों/प्रावधानों के अनुसार सही की गई है तथा वेतन स्थिरीकरण तथा राशि की गणना भी सही की गई है तथा संबंधित कार्मिक को चयनित वेतनमान एरियर का पूर्व में भुगतान नहीं किया गया है एवं नियम विरुद्ध अधिक भुगतान के लिये व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे, की शर्त पर दी जाती है। उक्त स्वीकृति वित्त विभाग से प्राप्त सहमति के अध्याधीन होगी।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज. जयपुर

क्रमांक:एफ.1451 सीसी/स्वाकापु/2018/1136 दिनांक : 9/5/18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. संयुक्त शासन सचिव वित्त (नियम) विभाग राज. जयपुर को उनकी आई.डी. क्रमांक 101801848 दिनांक 06.04.18 के क्रम में।
2. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग राज. जयपुर को उनकी आई.डी. क्रमांक 638 दिनांक 11.04.18 के क्रम में।
3. उप विधि परामर्शी मुख्यालय।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भरतपुर।
5. प्रभारी सर्वर रूम, कमरा नं. 302, मुख्यालय, को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करे।
6. संबंधित याचिकाकर्ताओं को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
7. आदेश/रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज. जयपुर